भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-222

उत्तर देने की तारीख-09/03/2026

माता-पिता के प्रवास का बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव

†*222. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ओडिशा के कालाहांडी, बलांगीर और नुआपाड़ा जिलों में माता-पिता के मौसमी और दीर्घकालिक प्रवास का उनके बच्चों की शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या समग्र शिक्षा या संबद्ध योजनाओं के अंतर्गत ऐसे अकेले पड़ गए बच्चों की पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए कोई तंत्र मौजूद है जिन्हें माता-पिता की अनुपस्थिति के कारण अनियमित हाजिरी और शिक्षण में कमी की स्थिति का सामना करना पड़ता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पश्चिमी ओडिशा में ऐसे बच्चों, विशेषकर ऐसी लड़कियों के लिए प्रदान की गई उपचारात्मक शिक्षा, 'ब्रिज कोर्स' या विशेष अधिगम कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है, जिनकी साक्षरता का स्तर राज्य के औसत से भी कम है;

(घ) क्या ओडिशा के प्रवास-प्रवण जिलों में मनो-सामाजिक परामर्श और समुदाय आधारित सहायता प्रणालियों की किसी व्यवस्था को विद्यालयी शिक्षा ढांचे में एकीकृत किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार पश्चिमी ओडिशा में शिक्षा से बच्चों के वंचित रह जाने की समस्या को दूर करने के लिए प्रवासन से जुड़ी छात्रवृत्तियों, सामुदायिक अधिगम केन्द्रों अथवा प्रौद्योगिकी-समर्थित माता-पिता की सहभागिता संबंधी मॉडल जैसे लक्षित उपाय करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ङ): विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

*****

माता-पिता के प्रवास का बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव द्वारा दिनांक 09.03.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 222 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ङ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिसंख्य स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत, राज्य सरकार को उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकता के आधार पर राज्य द्वारा तैयार की गई वार्षिक योजनाओं पर आधारित सहायता दी जाती है और यह उनके संबंधित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) प्रस्तावों में परिलक्षित होता है, जिन्हें बाद में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा राज्य के परामर्श से योजना के कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानदंडों के अनुसार और अनुमोदित मध्यवर्तनों के लिए राज्य की वास्तविक और वित्तीय प्रगति के आधार पर मूल्यांकित और अनुमोदित किया जाता है।

केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के तहत, नियमित स्कूलों में आयु-उपयुक्त प्रवेश के माध्यम से स्कूल न जाने वाले छात्रों (ओओएससी) को मुख्यधारा में लाने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है। प्राथमिक स्तर पर स्कूल न जाने वाले छात्रों के लिए आयु (उपयुक्त) प्रवेश के लिए विशेष प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मानदंडों के अनुसार, प्रति वर्ष प्रति छात्र 6,000 रुपये तक की राशि गैर-आवासीय पाठ्यक्रमों के लिए और प्रति वर्ष प्रति छात्र 20,000 रुपये तक की राशि आवासीय पाठ्यक्रमों के लिए प्रदान की जाती है। वर्ष 2025-26 के दौरान, ओडिशा को इस घटक के लिए 219.10 लाख रुपये अनुमोदित किए गए हैं। कालाहांडी, बलांगीर और नुआपाड़ा जिलों में 35 आवासीय सामयिक छात्रावास खोले गए हैं, जिससे 753 छात्रों और 614 छात्राओं सहित 1367 छात्रों को लाभ हुआ है। समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत ओडिशा में 324 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (बलांगीर में 22, नुआपाड़ा में 10 और कालाहांडी जिले में 26 सहित) कार्य कर रहे हैं, जहां 40,999 छात्राएं (बलांगीर में 2501, नुआपाड़ा में 1500 और कालाहांडी जिले में 3681 सहित) गुणवत्तापरक शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ओडिशा में जनजातीय प्रधान ब्लॉकों में स्थित अपने स्वयं के वातावरण में जनजातीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 111 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) को मंजूरी दी है। इसके अलावा, ओडिशा में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए पीएम जनमन के तहत कालाहांडी में 8 और नुआपाड़ा जिले में 2 छात्रावासों को मंजूरी दी गई है। डीएजेजीयूए के तहत ओडिशा में जनजातीय छात्रों के लिए कालाहांडी में 6 और नुआपाड़ा जिले में 2 छात्रावासों को मंजूरी दी गई है।

उपर्युक्त के अलावा, जैसाकि ओडिशा सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि बेहतर आजीविका के अवसरों की तलाश में अपने माता-पिता के साथ दूर-दराज के स्थानों पर प्रवास करने वाले स्कूल जाने वाले छात्रों के मुद्दे पर ध्यान देने के लिए आवासीय सामयिक छात्रावास स्थापित

किए गए हैं। प्राथमिक उद्देश्य ऐसे छात्रों को स्कूलों में प्रतिधारित रखना, उनकी निरंतर शिक्षा सुनिश्चित करना, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पूरी करने की सुविधा प्रदान करना और ड्रॉपआउट को रोकना है। प्रवासी परिवारों के छात्रों की पहचान प्रतिवर्ष सहायक खंड शिक्षा अधिकारी (एबीईओ)-सह-खंड संसाधन केंद्र समन्वयक (बीआरसीसी), क्लस्टर संसाधन केंद्र समन्वयक (सीआरसीसी) और शिक्षकों द्वारा प्रवासन के मौसम से पहले, विशेष रूप से राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में नुआखाई त्योहार के बाद की जाती है। कालाहांडी, बलांगीर और नुआपाड़ा जिलों में सामयिक छात्रावासों के कार्यान्वयन से उन छात्रों के प्रवास में उल्लेखनीय कमी आई है जो अपने परिवारों के साथ प्रवासन कर जाते थे, जिससे उनके अधिगम के परिणामों पर प्रभाव पड़ा। ये सामयिक छात्रावास निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार भोजन, बिजली, पानी, चारदीवारी और शौचालय सुविधाओं जैसी आवश्यक लाजिस्टिक सहायता के साथ एक सुरक्षित और घरेलू वातावरण प्रदान करते हैं। छात्र बिना किसी बाधा के अपनी पढ़ाई जारी रखने में सक्षम हैं, जिससे उनके अधिगम के परिणामों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

दिसंबर, 2024 में किए गए परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण (पीआरएस) से पता चलता है कि कक्षा 3, 6 और 9 में सभी श्रेणियों में ओडिशा का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। पीआरएस 2024 की रिपोर्ट https://parakh.ncert.gov.in/sites/default/files/2025-07/REPORT_India_IND.pdf
पर उपलब्ध है:

कक्षा 3 (प्रतिशत सही अंक तुलना) 2024					
विषय	**कालाहांडी**	**बलांगीर**	**नुआपाडा**	**राष्ट्रीय**	**राज्य**
भाषा	73	66	60	64	65
गणित	70	62	58	60	61

कक्षा 6 (प्रतिशत सही अंक तुलना) 2024					
विषय	**कालाहांडी**	**बलांगीर**	**नुआपाडा**	**राष्ट्रीय**	**राज्य**
भाषा	68	65	59	57	64
गणित	61	56	51	46	51
हमारे आस-पास की दुनिया	62	57	51	49	54

कक्षा 9 (प्रतिशत सही अंक तुलना) 2024					
विषय	**कालाहांडी**	**बलांगीर**	**नुआपाडा**	**राष्ट्रीय**	**राज्य**
भाषा	60	57	51	54	59
गणित	50	41	38	37	41

विज्ञान	50	42	38	40	43
सामाजिक विज्ञान	49	43	39	40	43

इसके अलावा, जैसाकि ओडिशा राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है, प्रवासी परिवारों की लड़कियां जो सामयिक छात्रावासों में प्रतिधारित हैं, बिना किसी बाधा या कठिनाई के निर्धारित पाठ्यक्रम और छात्रावास दिशानिर्देशों के अनुसार शैक्षणिक सहायता प्राप्त करते हुए अपने अध्ययन को सुचारू रूप से जारी रखने में सक्षम हैं।

छात्रों के लिए निरंतर जुड़ाव, निगरानी और सहयोग सुनिश्चित करते हुए, आवश्यकतानुसार आयोजित माता-पिता-शिक्षक बैठकों (पीटीएम), एसएमसी बैठकों और अन्य स्कूल-स्तरीय बातचीत के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। सामयिक छात्रावासों का प्रबंधन विद्यालय प्रबंधन समितियों (एसएमसी) द्वारा किया जाता है। प्रवासी छात्रों और उनके परिवारों की मनो-सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एसएमसी के समन्वय में स्कूल शिक्षकों द्वारा समूह और व्यक्तिगत परामर्श सत्र आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा, आवासीय सामयिक छात्रावासों में प्रवासी छात्रों को बनाए रखने और दिशानिर्देशों के अनुसार उनकी सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम और समुदाय आधारित प्रयास किए जाते हैं।

ओडिशा राज्य सरकार निर्माण श्रमिक कल्याण योजना (एनएसकेवाई) के तहत प्रवासी निर्माण श्रमिकों के बच्चों सहित निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शैक्षिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत वर्ष 2024-25 के दौरान 23,850 बच्चों को 1951.93 लाख रुपये और वर्ष 2025-26 के दौरान 39,062 बच्चों को 3414.27 लाख रुपये प्रदान किए गए।

*****